

कार्यालय राजस्व निरीक्षक मंडल..... तहसील..... जिला.....

प्रति,

श्रीमान सहायक सर्वेक्षण अधिकारी/तहसीलदार

तहसील..... जिला.....

विषय :- स्वामित्व योजना अंतर्गत में रिक्त भूखण्डों की जांच के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- कलेक्टर महोदय के पत्र क्र 889/भू-अभि./रा.नि./स्वा/2024 दिनांक 15/07/2024.

विषयान्तर्गत के सम्बन्ध में लेख है, कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के प्रवधानों के अंतर्गत राजस्व प्रकरण क्रमांक/अ-3/2022-23 ग्राम..... LGD Code..... प.ह.न..... रा.नि.मं..... तहसील..... जिला..... स्थित आबादी क्षेत्र के सर्वेक्षण की कार्यवाही उपरांत स्वामित्व योजना अंतर्गत प्रकरण में अधिकार अभिलेख एवं फाइनल नक्शा शीट अनुसार रिक्त भूखंड जो कि हितग्राही को आवंटित किये जा रहे हैं, की जांच मेरे द्वारा मौके पर जाकर की गई है, तथा संलग्न निर्धारित प्रारूप में कालम क्रमांक 06 में टीप अंकित की गई हैं।

प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

राजस्वा निरीक्षक

रा.नि.मं..... तहसील.....

स्वामित्व योजना अंतर्गत राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट

नोट:- कॉलम क्रमांक 3 में ऐसे भूखण्डों का क्रमांक दर्ज किया गया है जो फाईनल शीट में रिक्त है तथा अधिकार अभिलेख में किसी हितग्राही के नाम से दर्ज है।

सरल क्र	सर्वेक्षण क्रमांक/खसरा क्र	भूखण्ड क्रमांक	क्षेत्रफल वर्ग मी में	अधिकार अभिलेख अनुसार हितग्राही का नाम	निरिक्षण उपरांत टीप	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7

दिए कॉलम क्रमांक 6 में रा. नि. स्पष्ट टीप दे कि कॉलम न. 5 में जिस हितग्राही का नाम है अधिकार अभिलेख में उसी का नाम दर्ज किया जाना उचित है या नहीं।

पटवारी ह.न.

राजस्व निरीक्षक